



स्टाक होल्डिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड

रजिस्टर्ड आफिस :- 301, सेंटर प्वाइंट, डा0 बाबा साहब अम्बेडकर रोड, परेल, मुम्बई-400012

वेबसाइट - www.shcilestamp.com

VER 1.0 010713

फार्म-3

देखें नियम - 21

उत्तर प्रदेश के लिये ई स्टाम्पिंग आवेदन पत्र

अधिकृत कलेक्शन सेन्टर	अधिकृत कलेक्शन सेन्टर आई.डी.
-----------------------	------------------------------

आवेदन का दिनांक	/ / 20	(<input checked="" type="checkbox"/> किसी एक को टिक करें)	<input type="checkbox"/> पंजीकरण	<input type="checkbox"/> अपंजीकरण हेतु
-----------------	--------	---	----------------------------------	--

लेखपत्र का प्रकार	स्टाम्प शुल्क की धनराशि	₹
-------------------	-------------------------	---

सम्पत्ति का विवरण (अधिकतम 100 अक्षर तक)

प्रतिफल की धनराशि	₹
-------------------	---

प्रथम पक्ष का विवरण (अधिकतम 50 अक्षर तक)

नाम	
पता	
फोन नं0	पिन कोड

द्वितीय पक्ष का विवरण (अधिकतम 50 अक्षर तक)

नाम	
पता	
फोन नं0	पिन कोड

स्टाम्प शुल्क भुगतान का विवरण (अधिकतम 50 अक्षर तक)

स्टाम्प शुल्क क्रय करने वाले का नाम		भुगतान का प्रकार	<input type="checkbox"/> नकद <input type="checkbox"/> चेक <input type="checkbox"/> डी डी <input type="checkbox"/> पे आर्डर <input type="checkbox"/> निफ्ट
स्टाम्प शुल्क अदा करने वाले	<input type="checkbox"/> प्रथम पक्ष <input type="checkbox"/> द्वितीय पक्ष		<input type="checkbox"/> आर.टी.जी.एस. <input type="checkbox"/> खाता से खाता हस्तान्तरण
स्टाम्प शुल्क की धनराशि	₹		

चेक / डी डी / पे आर्डर / निफ्ट / आर.टी.जी.एस. / खाता विवरण			नकद जमा	₹
बैंक का नाम	शाखा का नाम	चेक/डी.डी/पे आर्डर/यू.टी.आर./आर.ई.एफ./खाता सं0	नकद विवरण	
			1000 X	
			500 X	
			100 X	
			50 X	
			20 X	
			10 X	
			5 X	
रु0 (शब्दों में)			2 X	
			1 X	
			टोटल	

- कृपया मरे हुये फार्म हस्ताक्षर एवं स्टाम्प शुल्क की धनराशि सहित ई स्टाम्पिंग के काउन्टर पर जमा करें।
- स्टाम्प शुल्क की धनराशि रु0 के पूर्णांक में रखें।
- लेखपत्र का प्रकार/अनुच्छेद एवं स्टाम्प शुल्क की धनराशि को ई-स्टाम्पिंग के काउन्टर पर निर्धारित नहीं किया जायेगा।
- एक बार ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट जारी होने के बाद उसे संशोधित/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, इसलिये सावधानी पूर्वक ई-स्टाम्प को देखने के उपरान्त ही हस्ताक्षर करें।
- ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट प्रयोग न होने पर धनराशि की वापसी के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये नियम के अन्तर्गत आवेदन करने पर स्टाम्प शुल्क की धनराशि निर्धारित धनराशि की कटौती के परचात अवशेष धनराशि ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट निरस्त कर वापस की जा सकेगी।

उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी में सही, पूर्ण एवं सत्यतापूर्वक अंकित की गयी है।

पार्टी का नाम/या प्रतिनिधि

हस्ताक्षर

मैं ये प्रमाणित करता हूँ की आवेदन पत्र सही प्रारूप में है।
उपयोग करने वाले के द्वारा भरा जायें

केवल कार्यालय प्रयोग के लिये

सुपरवाइजर द्वारा भरा जायें

SUBIN	सर्टिफिकेट नं0	IN-																		
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर																			
स्टाम्प सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला	नाम :																			

ई-स्टाम्पिंग

स्वीकृती

(ग्राहक द्वारा भरा जायेगा)

स्टाम्प शुल्क क्रय करने वाले का नाम	स्टाम्प शुल्क अदा करने वाले	<input type="checkbox"/> प्रथम पक्ष <input type="checkbox"/> द्वितीय पक्ष
स्टाम्प शुल्क की धनराशि	भुगतान का प्रकार	<input type="checkbox"/> नकद <input type="checkbox"/> चेक <input type="checkbox"/> डी डी <input type="checkbox"/> पे आर्डर <input type="checkbox"/> निफ्ट
चेक/डी.डी/पे आर्डर/यू.टी.आर./आर.ई.एफ./खाता सं0	दिनांक :	/ / 20
बैंक का नाम	शाखा का नाम	
काउन्टर हस्ताक्षर सील के साथ		

NOTE : Once the Stamp Certificate has been generated payment cannot be cancelled or refunded by Central Record-Keeping Agency For Cancellation you need to get in touch with the certificate of the district at the Stamp Office appointed by the State Government.